9-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	की तामील में जारी हुए

13.08.2019 वादी रूपेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151 व 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र में कथन किया कि राजीनामा के अन्तर्गत वाद पत्र की धारा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जानें में वादी व प्रतिवादीगण सहमत होनें का कथन किया था व इसी अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जानें का निवेदन किया था लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री में वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जानें का आदेश फरमाया गया है, जबकि वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुताबिक राजीनामा बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना था उक्त त्रुटि संशोधन किये जानें योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2019 में मुताबिक राजीनामा वादपत्र की धारा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अकन किया जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन किये जानें का अंकन विलोपित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को ही दोहराते हुए उक्तानुसार संशोधन हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता कथनो पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 09.08.2019 में संशोधन किया जाकर निर्णय व डिक्री में **"प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी सख्या 1 रूपेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गा प्रसाद को बहिस्सा बराबर का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।"**को विलोपत करते हुए उसके स्थान पर **"प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1 रूपेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गा प्रसाद को बहिस्सा बराबर का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।"**का संशोधन किया जाता है।

उक्त आदेश निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 09.08.2019 का भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 155 / 2019

1 रूपेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

—:: बनाम ::—

1 रामसिंह पुत्र श्री आदूराम जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 दुर्गा परशाद पुत्र श्री रामसिंह जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 रोशनी पुत्री श्री राम सिंह पत्नी श्री गौतम जाति सुथार निवासी रसालियाखेड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता — वादी
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 4

दिनांक :— 09.08.2019

—:: निर्णय ::—

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 102/84 पत्थर नम्बर 170/370 (19) किला नम्बर 16/2/.051, 17/2/.010, 24/3/.051, 25/2/.228, पत्थर नम्बर 171/370 (20) किला नम्बर 11/2/.013, 20/3/.013, 21/3/.013, 22/3/.003 कुल तादादी 0.382 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 105/37 के पत्थर नम्बर 170/370 (19) किला नम्बर 6 ता 15, पत्थर नम्बर 171/370 (20) किला नम्बर 9/2/.017, 10/2/.017, 11/2/.240, 12, 19/2/.101 20/1/.097 कुल तादादी 3.255 हैक्टर व चक 21 ए.जी. के खाता सख्या 114/98 के पत्थर नम्बर 177/379 (38) किला नम्बर 1/2/.227, 2 ता 9, 10/2/.228 कुल तादादी 2.479 हैक्टर में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दियां संलग्न वादपत्र है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादिया संख्या 3 उपरोक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व प्रतिवादिया संख्या 3 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। घरू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त कृषि भूमि जो वादपत्र की धारा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में वादी को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दी हुई है जिस पर वादी काबिज काश्त है जिसकी वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हक, हकूक पर

लगातार 2

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादी उपरोक्त वर्णित वादपत्र की धारा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे उपरोक्त कृषि भूमि की मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करवा देवें लेकिन वह इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है, इस कारण वादपत्र वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) घोषणा फरमाई जावें कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

(ख) मुताबिक घोषणा वादी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज किया जावें।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 26.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर करनें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त शीर्षक के वाद पत्र में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पंचायत व मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 10 एम.जेड़.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 102/84 पत्थर नम्बर 170/370 (19) किला नम्बर 16/2/.051, 17/2/.010, 24/3/.051, 25/2/.228, पत्थर नम्बर 171/370 (20) किला नम्बर 11/2/.013, 20/3/.013, 21/3/.013, 22/3/.003 कुल तादादी 0.382 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 105/87 के पत्थर नम्बर 170/370 (19) किला नम्बर 6 ता 15, पत्थर नम्बर 171/370 (20) किला नम्बर 9/2/.017, 10/2/.017, 11/2/.240, 12, 19/2/.101 20/1/.097 कुल तादादी 3.255 हैक्टर व चक 21 ए.जी. के खाता सख्या 114/98 के पत्थर नम्बर 177/379 (38) किला नम्बर 1/2/.227, 2 ता 9, 10/2/.228 कुल तादादी 2.479 हैक्टर में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादिया संख्या 3 उपरोक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व प्रतिवादिया संख्या 3 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। घरू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त कृषि भूमि में वादी को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दी हुई है। वाद पत्र की धारा 3 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने में हम मिकरान सहमत

लगातार 3

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

है। उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषणा प्रदान किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करने में हम मिकरान को कोई आपत्ति नही है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

अत: राजीनामा मिकरान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा सहमति से अच्छी तरह पढ़कर समझ लिया है जिसे मिकरान स्वीकार करते है, राजीनामा लिख दिया है कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नही है।

प्रकरण मे उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज / 6 / 97 / 10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

लगातार 4

Scanned by CamScanner

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 102/84 की 0.382 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा खाता संख्या 105/87 की 3.255 हैक्टर तथा चक 21 ए.जी. के खाता सख्या 114/98 की 2.479 हैक्टर में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। जो उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवम् साक्ष्य दस्तावेजात के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 10 एम.जेड़.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 102/84 की 0.382 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा खाता संख्या 105/87 की 3.255 हैक्टर तथा चक 21 ए.जी. के खाता सख्या 114/98 की 2.479 हैक्टर में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी सख्या 1 रूपेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गा प्रसाद को बहिस्सा बराबर का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 155/2019

1 रूपेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 रामसिंह पुत्र श्री आदूराम जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री रामसिंह जाति सुथार निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 रोशनी पुत्री श्री रामसिंह पत्नी श्री गौतम जाति सुथार निवासी रसालियाखेड़ा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 09.08.2019

वादी की और से श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 की और से श्री सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 09.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 102/84 की 0.382 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा खाता संख्या 105/87 की 3.255 हैक्टर तथा चक 21 ए.जी. के खाता सख्या 114/98 की 2.479 हैक्टर में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी सख्या 1 रूपेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गा प्रसाद को बहिस्सा बराबर का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner